विक्रमसिंह बनाम नर्बदादेवी वगैरह

मु0नं0 03/2023

24-1-24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी नोटिस भेजने के उपरान्त हाजिर नहीं आये। आज सरे इजलास रूकरूक आवाजे लगाई गई जिसपर अप्रार्थी वकालतन या असालतन हाजर नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट आज शामिल मिसल की गई। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक/तखा/खाजू/रीडर/23/1155 दिनांक 11.7.23 अनुसार चक 1 बीएम बी मु0नं0 112/22 के किला नं0 22, 23 की 0.5058 हैक्टर भूमि विक्रमसिंह पुत्र शिशपालसिंह जाति जाट निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम दर्ज है। मु0नं0 112/22 में वादी को रिकॉर्ड अनुसार कोई रास्ता नहीं लगता है। मु0नं0 112/22 के किला नं0 6,7, 13 ता 17, 24, 25 भूमि अप्रार्थी नर्बदादेवी पुत्र चांदरतन जाति चांडक निवासी पूगल के नाम दर्ज है। चक 1 बीएम बी के मु0नं0 112/30 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानी रास्ता है जो कि मौके पर चालू है। प्रार्थी, अप्रार्थी के मु0नं0 112/22 के किला नं0 24 ,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता कटान करवाना चाहता है। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला का अध्ययन अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 1 बीएम बी के मु0नं0 112/22 के किला नं0 24 ,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 1–1 बिस्वा कुल 02 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ़्तर हो।	